श्री गोरखनाथ भा०प्र०से०, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2022 (सोमवार) 2:00 बजे अपराह्न में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Cr) No. 3543/2020 मामले में पारित न्यायादेश के अनुपालन में पुलिस थाना/ओ0पी0 में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों के अधिष्ठापन एवं निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की V.C के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया एवं सभी सदस्यों/पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विषय के संबंध में पारित न्यायादेश के क्रम में विभागीय निदेशों के आलोक में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. **जिलों में थाना/ओ0पी0 की संख्या–**

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि जिला में कुल–32 थाना/ओ0पी0 है, जिसमें से 21 में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण लगाया गया है एवं 11 में कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा बताया गया कि जिला में कुल–30 थाना/ओ0पी0 (22 थाना एवं 08 ओ0पी0) है, जिसमें से 02 (हसनगंज, कुर्सेला थाना) में तकनीकी खराबी के कारण कार्य बाधित है। इस संबंध में संबंधित फिल्ड इंजीनियर को अविलम्ब ठीक करने हेतु निदेशित किया गया है, अन्य थानों में सीसीटीवी कैमरा एवं संबंधित उपकरण क्रियाशील है।

पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा बताया गया कि जिला में कुल–26 थाना/ओ0पी0 (14 थाना एवं 12 ओ0पी0) हैं। जिसमें सभी थाना में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण क्रियाशील है। अररिया आर0एस0 एवं सिमराहा ओपी में अभी नहीं लगाया गया है, इसे जल्द लगाया जाएगा तथा बैरगाछी, मदनपुर एवं बथनाहा ओपी में तकनीकी खराबी के कारण कार्य बाधित है। इस संबंध में संबंधित फिल्ड इंजीनियर को अविलम्ब ठीक करने हेतु निदेशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि जिला में कुल–22 थाना/ओ0पी0 (20 थाना एवं 02 ओ0पी0) हैं। जिसमें 20 थाना में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण क्रियाशील है एवं 02 ओ0पी0 में शीघ्र लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को निदेशित किया गया कि बाकी बचे थाना एवं ओ0पी0 में उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में TASL द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण लगाये जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस संबंध में TASL के प्रतिनिधि को भी निदेशित किया गया कि संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक एवं उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र बाकी बचे थाना/ओ0पी0 में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण लगाने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं TASL के क्षेत्रीय अभियंता)

2. **मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP):–**

मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में मूलतः थानाध्यक्ष को ही थानों में अधिष्ठापित उपकरणों के सुरक्षा एवं संरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यदि सी.सी.टी.वी. कैमरा खराब होता है तो इसके संबंध में वे पुलिस डायरी में दर्ज करेंगे और उसे तुरंत ठीक कराने हेतु TSAL के क्षेत्रीय अभियंता के साथ–साथ जिले के नोडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को संसूचित करेंगे, साथ ही जब सी.सी.टी.वी. कैमरा ठीक हो जाय तो उसे भी स्टेशन डायरी में दर्ज करेंगे।

मानक परिचालन प्रक्रिया **(SOP)** के अनुपालन के संबंध में समिति के सदस्यों को स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें मानक परिचालन प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा उक्त दिशा निदेशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – समिति के सभी संबंधित सदस्य)

3. <u>छेड़छाड़ एवं टेम्परिंग</u> :–

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस संबंध में कोई भी रिर्पोट (सूचना) अबतक प्राप्त नहीं है। उक्त संदर्भ में उन्हें कहा गया कि इस तरह के कार्यो की निगरानी कर मासिक समीक्षा की जाय तथा TASL के प्रतिनिधि को इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं TASL के क्षेत्रीय अभियंता)

4. <u>सी.सी.टी.वी. कैमरा का अधिष्ठापन एवं सत्यापन</u> :–

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज द्वारा इस संबंध में कहा गया कि सत्यापन नियमित तरीकें से किया जा रहा है। इस महीने इसे पूर्णतः सत्यापित करा लिया जायगा।

उन्हें निदेशित किया गया कि थाना/ओ0पी0 में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों के कार्य करने एवं उससे जुड़े गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु व्यवस्था (Mechanism) विकसित किया जाय तथा जिला स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज)

5. <u>बिजली के पोल से थाना तक आने वाले मानक बिजली का तार बदलने के संबंध में</u> :–

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज द्वारा बताया गया कि सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरण में लगे हुए सभी थाना/ओ0पी0 में मानक बिजली का तार लगा हुआ है पर कुछ थानों/ओपी में तार अभी तक नहीं बदला गया है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि शेष सभी जगहों पर तार बदलने की प्रक्रिया **TASL** के अभियंताओं द्वारा संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीध्र पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज)

6. <u>उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के अनुरूप अनुमोदित पोस्टर/बैनर लगाने के संबंध में</u>:–

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, **पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज** द्वारा बताया गया कि सभी थाना/ओ0पी0 में उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के अनुरूप अनुमोदित पोस्टर/बैनर लगाया गया है तथा इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग, बिहार, पटना को भी दे दी गई है। उन्होंने इसके नमूनों की प्रति भी अपने प्रतिवेदन में संलग्न किया है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के अनुरूप अनुमोदित पोस्टर/बैनर का जो नमूना दिया गया है उसके अनुसार हीं लगाया जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज)

7. <u>थानाध्यक्ष की भूमिका</u> :–

मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन तथा थानाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सी. सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) से संबंधित विभागीय निदेशों के अनुपालन हेतु थानाध्यक्षों को निदेशित करने हेतु कहा गया है तथा इस संबंध में थाना से जिला स्तर तक एक प्रणाली विकसित करने का भी निदेश दिया गया है।

यह भी निदेशित किया गया कि सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों के खराब रहने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष नोडल पदाधिकारी को रिर्पोट करेंगे तथा उस दौरान पूछताछ की कार्रवाई का साक्ष्य रखेंगे। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–13, दिनांक– 07.01.21 द्वारा पुलिस

(17)

थानों/ओ.पी. में अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी. कैमरों के संचालन संघारण एवं ससमय मरम्मति से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP)के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कहा गया।

TASL के प्रतिनिधि को थानाध्यक्ष के साथ संपर्क में रहने एवं सहयोग करने तथा अविलंब उपकरणों में आई खराबी को दूर करने हेतु निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं TASL के क्षेत्रीय अभियंता)

8. <u>मानवाधिकार उल्लंघन की घटना</u> :–

सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज द्वारा बताया गया कि मानवाधिकार से संबंधित कोई भी घटना लंबित नहीं है तथा सम्प्रति ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है तथा शिकायत प्राप्त होने के उपरांत तुरंत कार्रवाई की जाती है।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि यह एक सतत् प्रक्रिया है। अतः मासिक/त्रैमासिक रूप से इसका अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज)

9. **<u>TASL के कार्यो की समीक्षा</u>** :–

उक्त संदर्भ में TASL के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि वो नियमित रूप से पुलिस थानों/ओ0पी0 में अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों की जाँच करें तथा मासिक/त्रैमासिक रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों के कामकाज से संबंधित प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं उक्त जिले के नोडल पदाधिकारी को देंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित TASL के सदस्यों को भी दी जाय। इस संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ मासिक संगोष्ठी में TASL के प्रतिनिधि से प्राप्त प्रतिवेदन की भी समीक्षा की जाय। TASL के प्रतिनिधि से Agreement की Copy की भी माँग की जाय। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया कि सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं उपकरणों को थाना/ओ.पी. के ऐसे हिस्से में लगाया जाय जहाँ से थाना परिसर एवं भवन स्पष्ट दृष्टिगोचर हो।

10. **जिला परिषद अध्यक्ष की भूमिकाः–**

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जनता के बीच इसे प्रचारित करने तथा थानों पर समुचित देखरेख रखने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति का सदस्य जिला परिषद् अध्यक्ष को बनाया गया है। इस हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थानों/ओ0पी0 में इसके अनुपालन की स्थिति से संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/जिला के नोडल पदाधिकारी को समय–समय पर अवगत करायेंगे।

(अनुपालन – जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार /अररिया /किशनगंज)

11. अन्यान्यः–

जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलों के नोडल पदाधिकारी तथा TASL के प्रतिनिधियों के साथ हर माह बैठक कर इसके कार्यान्वयन की स्थिति का लगातार अनुश्रवण करेंगे और इसके निर्णयों से प्रमंडलीय कार्यालय को अवगत करायेंगे। पुलिस अधीक्षक भी प्रत्येक माह होने वाली Crime meeting में जिले के नोडल पदाधिकारी तथा TASL के प्रतिनिधियों के साथ थानाध्यक्षों की भूमिका के संबंध में विस्तृत रूप से समीक्षा किया करेंगे। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया द्वारा भी कहा गया कि प्रमंडलस्तरीय पुलिस अधीक्षकों की बैठक में भी इसके कार्यान्वयन की समीक्षा को एक एजेंडा के रूप में शामिल किया जायेगा।

(अनुपालन – पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार /अररिया /किशनगंज)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः 152 / पूर्णिया, दिनांक 28 जून, 2022 ई०

प्रतिलिपि– पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय अभियंता एवं जिला समन्वयक TASL को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, जिला परिषद्, पूर्णिया/कटिहार/अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

28/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः 152 / पूर्णिया, दिनांक 28 जून, 2022 ई०

प्रतिलिपि– अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों एवं आधुनिकीकरण–सह–नोडल पदाधिकारी, सी.सी.टी.वी. परियोजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग , बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।